

फर्द अहकाम
खीतर बनाम ओमप्रकाश

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या 05/2022

नं. दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील अनुपस्थित। वकील वादी व वकील प्रतिवादी को आवाज दिलाई गई। कोर्ट उपस्थित नहीं हुए। बार-बार रुक-रुककर आवाज दिलाई गई। फिर भी कोर्ट उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट के समय पूर्ण धन-धुका ही वादी को वाड अफम हाजरी नृ अफम पेश की म खारिज किया जाता है। पत्रावली फोनल शुमार लेकर दर्ज नं० में कम ही वासिल दर्ज है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूडू